



नजी ५० ११३/२०१६

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर (म०प्र०)

निग-११३- I-१६

प्रकरण कमांक

/ 2016 रिवीजन

रिवीजनकर्तागण -

- (1) महिला अनीता देवी, पत्नी स्व. श्री भोलाराम,
  - (2) नन्दराम सिंह, पुत्र स्व. श्री भोलाराम,
  - (3) रामू सिंह, पुत्र श्री स्व. भोलाराम,
- समस्त निवासीगण ग्राम विरगवां रानी तहसील अटेर, वृत्त सुरपुरा, जिला भिण्ड (म०प्र०)

बनाम्

प्रतिरिवीजनकर्तागण -

- (1) राम बिहारी, पुत्र श्री गेन्दालाल काछी,
  - (2) जबर सिंह, पुत्र श्री गेन्दालाल काछी,
  - (3) विजय सिंह, पुत्र श्री गेन्दालाल काछी,
- समस्त निवासीगण ग्राम विरगवां रानी तहसील अटेर, वृत्त सुरपुरा, जिला भिण्ड (म०प्र०)

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध  
आदेश दिनांक 14.01.2016 पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी  
अटेर जिला भिण्ड म०प्र० प्रकरण कमांक 18/2013-14/ अपील माल  
(राम विहारी व अन्य बनाम् महिला अनीता व अन्य)

न्यायालय श्रीमान्

रिवीजनकर्ता की ओर से रिवीजन निम्न प्रकार प्रस्तुत है -

XXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-993-एक/16

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	